कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2015–16

विज्ञप्ति

क्रमांक/आब./ठेका/2015/ 3677 रायपुर, दिनांक 23-06-2015

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, **जिला–महासमुंद की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 17 बसना समूह एवं समूह क्रमांक 13 झलप समूह तथा जिला–जांजगीर चांपा की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 23 बरपाली (चांपा) समूह, देशी मदिरा समूह क्रमांक 24 कोसमंदा समूह एवं देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 39 चन्द्रपुर समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 24.06.2015 से दिनांक 28.06.2015 तक इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।**

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 29.06.2015 समय अपरान्ह 2:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट महासमुंद एवं जिला कलेक्टोरेट जांजगीर–चांपा रहेगा।

2/ आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2015/581, रायपुर दिनांक 10.02.2015 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों के छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेब साईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts में तथा राज्य शासन के वेबसाईट http://cgstate.gov.in के सूचना निर्देशिका एवं लिंक http://cgstate.gov.in/tenders में भी किया जा सकता है।

5/ इसकें बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते है तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़,

पृष्ठा.क्रमांक / आब / ठेका / 2015 / 3678 रायपुर, दिनांक 23.06.2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला– महासमुंद / जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
5. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
6. श्री अनूप दुबे, सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, बैरन बाजार, रायपुर
7. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
8. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग–रायपुर / बिलासपुर (छ.ग).
10. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–जांजगीर चांपा
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–महासमुंद

अपर आयुक्त आबकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–एक

क्र.	नाम जिला	समुह क्रमांक	नाम दुकान/समूह का नाम	तहसील का नाम	01.07.2015 से 31.3.2016 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2015–16			01.07.2015 से 31.3.2016 के लिए ड्यूटी की राशि वर्ष 2015–16 (रूपयों में)			योग ड्यूटी राशि (रू.में) (कॉलम 9+10+11)	01.07.15 से 31.3.16 के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2015–16 (रूपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु कुल निर्धारित राजस्व (रूपयें में) (कॉलम 12+13)	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग रूपयें में	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12वां भाग रूपये में	माह जुलाई 2015 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि रूपयें में
					दे.म. (प्रू.ली. में)	वि.म. स्प्रिट (प्रू.ली.में)	वि.म. माल्ट (ब.ली. में)	दे.म. (रू.में)	वि.म. स्प्रिट (रू.में)	वि.म. माल्ट (रू.में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	महासमुन्द	13	झलप समूह	महासमुन्द												
			झलप देशी मदिरा		200880	0	0	18079200	0	0	18079200	34974639	53053839	2092500	3886071	3886071
			झलप विदेशी मदिरा		0	72720	27930	0	8362800	614460	8977260	17679528	26656788	1057750	1964392	1964392
			समूह योग		**200880**	**72720**	**27930**	**18079200**	**8362800**	**614460**	**27056460**	**52654167**	**79710627**	**3150250**	**5850463**	**5850463**
		17	बसना समूह													
			बसना देशी मदिरा	बसना	244080	0	0	21967200	0	0	21967200	42496065	64463265	2542500	4721785	4721785
			बसना विदेशी मदिरा		0	90000	48735	0	10350000	1072170	11422170	22642281	34064451	1354667	2515809	2515809
			समूह योग		**244080**	**90000**	**48735**	**21967200**	**10350000**	**1072170**	**33389370**	**65138346**	**98527716**	**3897167**	**7237594**	**7237594**
2	जांजगीर–चांपा	23	बरपाली (चाम्पा) समूह	चांपा												
			दे.म.दु. बरपाली (चाम्पा)		124236	0	0	11181240	0	0	11181240	20765160	31946400	1242360	2307240	2307240
			वि.म.दु. चाम्पा		0	132720	82070	0	15262800	1805540	17068340	31698346	48766686	1896482	3522038	3522042
			योग :–		124236	132720	82070	11181240	15262800	1805540	28249580	52463506	80713086	3138842	5829278	5829282
		24	कोसमंदा समूह	चांपा												
			दे.म.दु. कोसमंदा		76576	0	0	6891840	0	0	6891840	12799131	19690971	765760	1422125	1422131
			दे.म.दु. कोटाडबरी		59160	0	0	5324400	0	0	5324400	9888171	15212571	591600	1098685	1098691
			योग :–		135736	0	0	12216240	0	0	12216240	22088932	34903542	1357360	2520810	2520822

क्र.	नाम जिला	समुह क्रमांक	नाम दुकान/समूह का नाम	तहसील का नाम	01.07.2015 से 31.3.2016 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2015–16			01.07.2015 से 31.3.2016 के लिए ड्यूटी की राशि वर्ष 2015–16 (रूपयों में)			योग ड्यूटी राशि (रू.में) (कॉलम 9+10+11)	01.07.15 से 31.3.16 के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2015–16 (रूपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु कुल निर्धारित राजस्व (रूपयें में) (कॉलम 12+13)	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग रूपयें में	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12वां भाग रूपये में	माह जुलाई 2015 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि रूपयें में
					दे.म. (प्रू.ली. में)	वि.म. स्प्रिट (प्रू.ली.में)	वि.म. माल्ट (ब.ली. में)	दे.म. (रू.में)	वि.म. स्प्रिट (रू.में)	वि.म. माल्ट (रू.में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		39	चन्द्रपुर समूह	चन्द्रपुर												
			दे.म.दु. चन्द्रपुर		111221	0	0	10009890	0	0	10009890	18589796	28599686	1112210	2065532	2065540
			वि.म.दु. चन्द्रपुर		0	75000	46723	0	8625000	1027906	9652906	17926825	27579731	1072545	1991869	1991873
			योग :–		111221	75000	46723	10009890	8625000	1027906	19662796	36516621	56179417	2184755	4057401	4057413

अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़, रायपुर